

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र / 2 / 13

जयपुर, दिनांक : २२-६-१३

—: आदेश :—

निमाकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सामने अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री राजू सिंह सोलंकी नर्स ग्रेड-ग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	4/80, गांधीनगर	30.6.2038	15/10
2	श्रीमती लता असनानी कनिष्ठ लिपिक राज्य बीमा एवं प्रा० निधि विभाग, जयपुर	4/94 गांधीनगर	31.8.2028	27/10
3	श्री देशराज महेन्दीरत्ता वाहन चालक स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर	4/132 गांधीनगर	31.8.2029	33/10
4	श्री राकेश कुमार महावर वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता मामले, शासन सचिवालय, जयपुर	4/68 गांधीनगर	30.6.2037	47/10
5	श्री संजय टिकर वरिष्ठ लिपिक कार्यालय विशेषाधिकारी (एल). मुख्यमंत्री कायोलय शासन सचिवालय, जयपुर	4/85 गांधीनगर	31.3.2034	77/10

शर्तें :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रवतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन रवीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि सुपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह विर्किल्सालय, जयपुर
4. निदेशक, राज्य वीमा एवं प्राठ निधि विभाग, जयपुर
5. नियंत्रक, रेटर गोटर गैरेज, जयपुर
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर
7. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशासी अभियन्ता, साठनिठविठ/जन स्वाठ अभिठविठ/जयपुर विठविठनिगम लिठ, गौधीनगर, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
13. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव